

अर्ध न्यायिक निकाय

प्रलिस के लिये:

अर्ध न्यायिक निकाय, मध्यस्थता, न्यायाधिकरण बोर्ड, प्रशासनिक एजेंसी, कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, उपभोक्ता अदालत, कानूनी अधिकार, करतव्य, विशेषाधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रीय हरति न्यायाधिकरण, परदूषण, भारतीय नरिवाचन आयोग, मानयता परापत दल, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), आयकर, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी), कॉपीराइट, कॉपीराइट अधनियम, 1957, दूरसंचार वविद नपिटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी), दूरसंचार कषेत्र, वतित अधनियम, साइबर मामले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), सविलि न्यायालय, मानवाधिकार, लोकपाल, बैंकगि वनियमन अधनियम, 1949, बैंकगि लोकपाल योजना, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी), सूचना का अधिकार अधनियम, 2005, कानून का नयिम, वशिष एजेंसी, पारदर्शता, वधि आयोग, सविलि प्रकरयाि संहति, 1908।

मेन्स के लिये:

न्याय प्रशासन में अर्ध न्यायिक निकायों की भूमिका और महत्त्व।

अर्ध न्यायिक निकाय क्या हैं?

परचिय:

- **अर्ध न्यायिक निकाय** गैर-न्यायिक संस्थाएँ हैं जिनके पास कानून की व्याख्या करने का अधिकार है।
- वे संगठन हैं, जैसे कि **मध्यस्थता पैनल** या **न्यायाधिकरण बोर्ड**, जो सार्वजनिक प्रशासनिक एजेंसियाँ हो सकती हैं और जिनमें न्यायालय या न्यायाधीश के समान शक्तियाँ तथा प्रक्रियाएँ प्रदान की गई हैं।

वशिषताएँ:

- **वविदों का समाधान:**
 - वे मामलों में **मध्यस्थता** कर सकते हैं और **दंड नरिधारति** कर सकते हैं।
 - पक्षकार न्यायपालिका के पास जाने की परेशानी से गुज़रे बिना न्याय के लिये इन निकायों से संपर्क कर सकते हैं।
- **सीमति नरिणय शक्तियाँ:**
 - उनका अधिकार आमतौर पर वशिषज्जता के **एक वशिषिट कषेत्र तक सीमति** होता है, जैसे वत्ततीय बाज़ार, रोज़गार कानून, सार्वजनिक मानक, आवरण या वनियमन उदाहरण के लिये, **कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण** कॉर्पोरेट कंपनियों के शासन और कामकाज से संबंधित मामलों का फ़ैसला करता है।
- **पूरव नरिधारति नयिम:**
 - **अर्ध-न्यायिक निकायों** के नरिणय और फ़ैसले अक्सर **पूरव नरिधारति नयिमों** पर नरिभर होते हैं।
 - उनके नरिणय मौजूदा **कानून के नषिकर्षों** पर आधारित होते हैं।
- **दंड देने का अधिकार:**
 - उनके पास अपने अधिकार कषेत्र के अंतरगत आने वाले मामलों में **दंड देने का अधिकार** है, जैसे भारत में **उपभोक्ता न्यायालय** उपभोक्ता वविदों से नपिटता है और **अवैध गतवधियाँ** में लपित कंपनी को दंडित करता है।
- **न्यायिक समीक्षा:**
 - इन निकायों द्वारा जारी किये गए **नरिणयों** को न्यायालय में **चुनौती** दी जा सकती है तथा न्यायपालिका का नरिणय सर्वोच्च होता है।
- **गैर-न्यायिक प्रमुख:**
 - न्यायपालिका के वपिरीत, जसिका नेतृत्व न्यायाधीश करते हैं, इन निकायों का **नेतृत्व वतित, अर्थशास्त्र और कानून जैसे कषेत्रों** के वशिषज्ज करते हैं।

अधिकार:

- **सुनवाई का संचालन:** वे साक्ष्य एकत्र करने और **गवाहों की गवाही सुनने के लिये सुनवाई** का संचालन कर सकते हैं।
- **तथ्यात्मक नरिधारण:** अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी सुनवाई में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रासंगिक तथ्यात्मक नरिधारण कर सकते हैं।
- **कानून लागू करना:** वे अपने द्वारा नरिधारित तथ्यों पर कानून लागू कर सकते हैं और संबंधित पक्षों के **कानूनी अधिकारों**,

कर्तव्यों या विशेषाधिकारों के संबंध में नरिणय ले सकते हैं।

- **आदेश या नरिणय जारी करना:** वे ऐसे आदेश या नरिणय जारी कर सकते हैं जिनका **कानूनी बल** हो, जैसे किसी पक्ष को हरजाना देने या कुछ शर्तों का पालन करने के लिये बाध्य करना।
- **नरिणयों को लागू करना:** वे अपने नरिणयों को लागू करने के लिये कदम उठा सकते हैं, जैसे कि गैर-अनुपालन हेतु **जुरमाना या अन्य दंड** लगाना।

■ **लाभ:**

- **लागत प्रभावी:** पारंपरिक अदालतों की तुलना में न्यायाधिकरण अधिक **लागत प्रभावी** हैं, जो लोगों को **न्याय** पाने और अपनी शिकायतों को हल करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।
- **परेशानी मुक्त:** वे सुलभ हैं, **तकनीकी जटिलताओं** से मुक्त हैं और वे विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के तहत अधिक तेजी से और **कुशलतापूर्वक** आगे बढ़ते हैं।
- **न्यायिक कार्यभार में कमी:** कई मामलों पर नरिणय लेने वाले न्यायाधिकरण न्यायापालिका के कार्यभार को कम करते हैं, उदाहरण के लिये **राष्ट्रीय हरति अधिकरण पर्यावरण** और **परदूषण** से संबंधित मामलों पर नरिणय देता है।
- **शीघ्र न्याय:** वे **वशिषज्जता**, केंद्रित क्षेत्राधिकार और कम औपचारिकताओं के माध्यम से शीघ्र न्याय प्रदान करते हैं।

■ **भारत में महत्त्वपूर्ण अर्द्ध-न्यायिक निकायों की सूची:**

- **भारतीय नरिवाचन आयोग (ECI):**
 - अपने अर्द्ध-न्यायिक क्षेत्राधिकार के एक भाग के रूप में, **भारतीय नरिवाचन आयोग** **मान्यता प्राप्त दलों** के अलग-अलग समूहों के बीच विवादों का नपिटारा करता है।
 - इसमें ऐसे **अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने** की शक्ति है जो वधिद्वारा नरिधारित समय और तरीके से अपने **चुनाव व्यय का लेखा-जोखा** प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
- **आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT):**
 - यह **आयकर प्राधिकारियों** के आदेशों के विरुद्ध **अपील दायर करने हेतु एक अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण** है।
 - आयकर विभाग, **आयकर आयुक्त (अपील)** द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
- **बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (IPAB):**
 - **बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (Intellectual Property Appellate Board- IPAB)** **कॉपीराइट** पंजीकरण, **कॉपीराइट** असाइनमेंट तथा जनता से छपाए गए कार्यों हेतु लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित विवादों पर नरिणय लेने के लिये ज़िम्मेदार है।
 - यह **कॉपीराइट अधिनियम, 1957** के अंतर्गत अपने समक्ष लाए गए अन्य विधि मामलों की भी सुनवाई करता है।
- **दूरसंचार विवाद नपिटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT):**
 - TDSAT, **दूरसंचार क्षेत्र** में लाइसेंसकर्ता, लाइसेंसधारी तथा उपभोक्ता समूह से संबंधित विवादों का नपिटारा करता है।
 - वर्ष 2004 में **प्रसारण मामलों** को शामिल करने के लिये TDSAT के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया।
 - **वित्त अधिनियम, 2017** के माध्यम से TDSAT के अधिकार क्षेत्र को **एयरपोर्ट टैरिफि** तथा **साइबर मामलों** तक बढ़ा दिया गया।
- **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC):**
 - **NHRC** के पास एक **सिविल न्यायालय** की शक्तियाँ हैं।
 - यह **मानवाधिकार** उल्लंघन के मामले में किसी भी दस्तावेज़ की मांग कर सकता है तथा किसी भी व्यक्तिको सम्मन भेज सकता है।
 - मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में इसकी सफिराशें दो प्रकार की हैं अर्थात् पीड़ित को राहत और दोषियों को सज़ा।
- **केंद्रीय सूचना आयोग (CIC):**
 - **CIC**, **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा लिये गए नरिणयों के विरुद्ध शिकायतों और अपीलों की सुनवाई के लिये अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।

न्यायिक तथा अर्द्ध-न्यायिक निकायों के बीच अंतर:

आधार	न्यायिक निकाय	अर्द्ध-न्यायिक निकाय
प्राधिकार	यह एक न्यायालय है जिसके पास कानून की व्याख्या करने और उसे लागू करने, मामलों की सुनवाई करने तथा नरिणय देने एवं नरिणयों को लागू करने का अधिकार है।	यह एक एजेंसी या न्यायाधिकरण है जो न्यायालय की तरह कार्य करता है, विवादों का नपिटारा करने के साथ नरिणयों को लागू करता है।
स्वतंत्रता	यह सरकार की कार्यकारी एवं वधियायी शाखाओं से स्वतंत्र है और साथ ही कानून का शासन को बनाए रखने के लिये भी ज़िम्मेदार है।	यह पूर्ण न्यायालय नहीं है और साथ ही इसकी स्वतंत्रता भी कम है। सरकार की कार्यकारी एवं वधियायी शाखाओं का इस पर अधिक नरिंत्रण होता है।
अधिकार क्षेत्र	उनके पास सिविल तथा आपराधिक मामलों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है।	उनका अधिकार क्षेत्र सीमित है और वे केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जो उनकी वशिषज्जता या वधिष-वस्तु के वशिषिट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
नरिणय लेने का आधार	उनके पास नई कानूनी मसाल कायम करने की शक्ति है जिसका उपयोग भविष्य के मामलों में किया जा सकता है।	उनके नरिणय वशिषिट मामले पर वधिद्यमान कानूनों को लागू करने तक सीमित होते हैं।

न्यायाधीश	इसमें सरकार द्वारा नयुक्त न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं।	इसमें सरकार द्वारा या कहीं वरिष्ठ एजेंसी द्वारा नयुक्त न्यायाधीशों एवं वशिष्टजुओं का एक संयोजन शामिल हो सकता है।
कठोरता	ये प्रायः अधिक औपचारिक होते हैं और प्रक्रिया के कठोर नियमों का पालन करते हैं।	हालाँकि ये न्यायिक निकाय की अपेक्षा कम औपचारिक होते हैं कति फरि भी ये नरिधारति प्रक्रियाओं और साक्ष्य के नियमों का पालन करते हैं।

अर्द्ध-न्यायिक निकायों से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **सीमति जनशक्ति:** प्रायः इन निकायों में **कर्मचारियों की संख्या कम** होती है और **मामले अधिक** होते हैं, जिससे शीघ्र न्याय प्रदान करना मुश्किल हो जाता है।
- **अपील तंत्र:** अधिकरणों के वनिश्चय और लयि गए नरिणियों को प्रायः न्यायालयों में **चुनौती दी जाती है**, जिससे अर्द्ध-न्यायिक निकाय का प्रयोजन कमजोर होता है।
- **झूठे मामले:** हालाँकि अधिकरणों की कम लागत लोगों को न्याय पाने के लयि प्रोत्साहति करति है कति इसके परणामस्वरूप कई ऐसे **दावे** भी दायर होते हैं जो **नरिधार** होते हैं।
- **एकरूपता का अभाव:** वभिनिन निकायों में मौजूद प्रक्रियाओं और मानक की असंगतता से **एकरूपता का अंतराल** बढ़ता है तथा **अप्रत्याशतिता** उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- **कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि:** मामलों के कुशलतापूर्वक नपिटान के लयि इन निकायों में कर्मचारियों की अधिक नकियुक्ति करने की आवश्यकता है। इसमें **न्यायाधीश, क्लर्क और सहायक कर्मचारी** शामिल हैं।
- **अपील हेतु स्पष्ट दिशा-नरिदेश:** तुच्छ चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से कब और कसि प्रकार नरिणियों की अपील की जा सकती है, इसके संबंध में स्पष्ट दिशा-नरिदेश तथा मानदंड स्थापति करने की आवश्यकता है।
- **सक्रीनगि तंत्र:** कार्यवाही को आगे बढ़ने से पहले **आधारहीन दावों** की पहचान करने और उन्हें **परतच्छिदाति (Filter)** करने के लयि शुरुआत में ही सक्रीनगि (छानबीन करना अथवा छॉटना) प्रक्रियाएँ करयिान्वति करने की आवश्यकता है। परणाली के दुरुपयोग की रोकथाम करने हेतु झूठे अथवा तुच्छ मामले दर्ज करने वालों के लयि दंड नरिधारति कर उनका करयिान्वन कयिा जाना चाहयि।
- **मानकीकृत प्रक्रियाएँ:** निकायों में संगतता/सामंजस्य सुनश्चिति करने के लयि सभी अर्द्ध-न्यायिक निकायों में **मानकीकृत प्रक्रियाएँ** और दिशा-नरिदेश तैयार कर उन्हें करयिान्वति करने की आवश्यकता है।
- **अंतर-निकाय समन्वय:** सर्वोत्तम परथाओं को साझा करने और प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापति करने के लयि वभिनिन अर्द्ध-न्यायिक निकायों में समन्वय तथा संचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **केस प्रबंधन परणाली:** मामलों को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने और प्रशासनिक देरी को कम करने हेतु मामले के प्रबंधन के लयि उन्नत परणाली करयिान्वति करने की आवश्यकता है।
- **नयिमति अंकेक्षण:** नकियों के नषिपादन का आकलन करने और संभावति सुधार की पहचान करने के लयि **अर्द्ध-न्यायिक निकायों** का नयिमति अंकेक्षण तथा मूल्यांकन कयिा जाना चाहयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न: अर्द्ध-न्यायिक (न्यायकिवत) निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजयि। (2016)

प्रश्न: भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनश्चिति करने वाले अन्य यांत्रिकित्वों (मकॅनज़िम) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टपिपणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका तथा अन्य संस्थानों के प्रभावी पूरक के तौर पर एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजयि। (2014)

प्रश्न: यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फरि भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के वरिद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का वश्लेषण करते हुए, सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजयि। (2021)

प्रश्न: “केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके वरिद्ध शकियतों एवं परविदों के नविरण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।” व्याख्या कीजयि (2019)

प्रश्न: आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारति को कम कर सकते हैं? उपर्युक्त को दृष्टगित रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की वविचना कीजयि। (2018)

